भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5081
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज

5081. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लीकेज के कारण पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंचे खाद्यान्न की राज्य-वार अनुमानित वार्षिक मात्रा, मिलियन टन में कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन लीकेज के परिणामस्वरूप राजकोष को प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए की वित्तीय हानि होने का अनुमान है;
(ग) ऐसी लीकेज को कम करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और निगरानी प्रणालियों के प्रयोग सहित क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने इन लीकेज का पात्र लाभार्थियों हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ड.): आपूर्ति और वितरण दोनों पक्षों पर दिए गए मजबूत डिजिटल हस्तक्षेपों से, प्रणाली में लीकेज की संभावना को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, राजकोष पर कोई वित्तीय हानि नहीं होती है, क्योंकि यह प्रणाली किसी भी प्रकार के लीकेज या गलत आबंटन को रोकती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के अंतर्गत, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में राशन कार्ड और लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटलीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करने वाले सभी 20 करोड़ राशन कार्ड पूरी तरह से डिजिटीकृत किए जा चुके हैं।

...2/-

अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक समर्पित पारदर्शिता पोर्टल और एक टोल-फ्री हेल्पलाइन सहित एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और पुडुचेरी को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

खाद्यान्न वितरण 5.41 लाख ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, जिससे देश भर में उचित दर दुकानों (एफपीएस) की लगभग सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होती है। ये ई-पीओएस उपकरण वितरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे लाभार्थियों का सही लक्ष्यीकरण सुनिश्चित होता है। परिणामस्वरूप, 98% खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाता है।

*****